न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

बइजलास दीपक सिंह खटाना (RAS)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
24/प्रा0पत्र/2024	30.07.2024	24.01.2025

1. शानू कुमार गुप्ता आ0 श्री गिरिश कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बांरा राज0

.........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब के0पाटन जिला बून्दी

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री जनकराज मीना
2. अप्रार्थी की ओर से सरकार पैरोकार

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है कि :–

1. यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 769/479 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम व माल गुडला, पटवार क्षैत्र गुडली, भू0 अभि0 निरीक्षक क्षेत्र के0पाटन तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित हैं जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न है पूर्व में–कोटा से लालासोट जाने वाला रास्ता, पश्चिम में– अन्य कृषि भूमि, उत्तर में– रास्ता के बाद बाबूलाल माली की भूमि, दक्षिण में– मन्नालाल व गिर्राज माली की भूमि स्थित है।
2. यह कि प्रार्थी ने चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 479/2 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम व माल गुडला में से दक्षिण दिशा की 0.12 है0 भूमि खामेदारी नाथी बाई पुत्री हीरा जाति माली निवासी गुडली से खरीद किया था जिसकी बाद में खसरा नम्बर 769/479 बने है जो उत्तर दिशा की है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र कि चरण संख्या 1 में अंकित प्रार्थी के खातेदारी की भूमि दौराने राजस्व रिकार्ड के सेग्रीगेशन के खसरा नम्बर 769/479 को खसरा नम्बर 788/479 के स्थान पर राजस्व नक्शे में दर्शाया गया था तथा खसरा नम्बर 788/479 के स्थान पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 769/479 को राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से अंकित कर दिया गया जिससे मोके की स्थिति में राजस्व नक्शे में भिन्नता आ गयी है जिससे प्रार्थी को बडी परेशानी का सामना करना पड रहा है।
4. यह कि प्रार्थी ने राजस्व नक्शे में सहवन से हुये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने के लिए कई बार लिखित व मोखिक रूप से राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया जब प्रार्थी ने अंतिम बार दिनांक 15.06.2024 को कहां तो दुरूस्त करने से मना कर दिया।
5. यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मोके की स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में सेग्रीगेशन (पृथक्करण) के दौरान हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त करावें तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावें।

Scanned with OKEN Scanner

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दौराने सेग्रीगेशन (पृथक्करण) प्रार्थी के राजस्व नक्शे में प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नम्बर 769/479 गलत इन्द्राज को मोके पर काबिज पूर्व में दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त किये जाने तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार पैरोकार तहसीलदार के0पाटन से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम गुडला जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या 235 के खसरा संख्या 769/479 रकबा 0.12 है0 किस्म नहरी–II आराजी पर कब्जा खातेदार शानू कुमार गुप्ता पुत्र गिरिश कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी बांरा का है। उक्त भूमि पर मौके पर पक्की बाउण्ड्री बनी हुई है। उक्त वर्णि भूमि मेगा हाईवे से लगी हुई पश्चिमी दिशा में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में नामान्करण संख्या 49 दिनांक 25.03.2000 को बंटवारे में 0.20 है0 थी। जिसमें से नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 21.05.2009 को 0.08 है0 भूमि मन्नालाल, गिरिराज पि. रामनारायण को दक्षिणी दिशा में विक्रय की थी। बंटवारे में नजरी नक्शे में 0.20 है0 भूमि मेगा हाइवे से लगी थी परन्तु ऑनलाईन सेग्रीगेशन करते समय तकनीकी त्रुटि से या सहवन से तरमीम पूर्व से पश्चिम की जगह उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्ज हो गई। मौके पर खातेदार विक्रय पत्र के अनुसार बताई दिशा के अनुसार काबिज है। मौका पर्चा के साथ बंटवारे के समय का नक्शा व वर्तमान नजरी नक्शा एवं मौका के अनुसार नजरी नक्शा पेश किया है।

बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर अप्रार्थी तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार बंटवारे में नजरी नक्शे में भूमि मेगा हाइवे से लगी थी परन्तु ऑनलाईन सेग्रीगेशन करते समय तकनीकी त्रुटि से तरमीम पूर्व से पश्चिम की जगह उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्ज हो गई। जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थी को कानूनन अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या 235 के खसरा संख्या 769/479 रकबा 0.12 है0 ग्राम गुडला तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में "राजस्व नक्शें में तरमीम उत्तर से दक्षिण दिशा के स्थान पर पूर्व से पश्चिम" अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। मुताबिक आदेश की पालना करने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार के0पाटन को भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner